

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी, शाहपुरा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 08/2024 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री रामलाल माली पुत्र श्रीकिशन माली,
निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
जिला शाहपुरा।

बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
तहसीलदार फूलियाकलां
जिला शाहपुरा।

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10.08.2024

1. अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार फूलियाकलां जिला शाहपुरा के विरुद्ध दिनांक 03.05.2024 को प्राप्त हुई, जिसमें निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रु का एक पोस्टल ऑर्डर संख्या 61 एफ 420823 के साथ एक आवेदन पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार फूलियाकलां को दिनांक 20.03.2024 को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।


2. प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 13.05.2024 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार फूलियाकलां के कार्यालय के पत्रांक 645 दिनांक 28.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई।

3. प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) फूलियाकलां के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी/प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवायी जा सकती है। इस संदर्भ में अपीलार्थी को भी सूचित किया जा चुका है।

4. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना/जवाब प्रेषित कर दिये जाने से अपील में अब अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

5. आदेश आज दिनांक 10.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।




(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलट अधिकारी
शाहपुरा